



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244482
CG-DL-E-18032023-244482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1211]
No. 1211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1260(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा जाए) को सौंपा है;

एनएच संख्या	सेक्शन	खंड किमी से किमी तक	का.आ सं.	दिनांक
25	लखनऊ-कानपुर	0.000 to 11.380	465(अ)	26.04.2002
25	लखनऊ-कानपुर	11.380-21.800 and 59.500- 75.500	196(अ)	06.03.2000
25	लखनऊ-कानपुर	21.800-59.500	1192(अ)	03.12.2001

और यतः, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ 1987 (अ) दिनांक 03 जुलाई 2013 द्वारा प्राधिकरण ने मैसर्स पीएनसी कानपुर अयोध्या टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय केबिन नंबर 5, एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर- II, चौथी मंजिल, पुष्प विहार, सेक्टर V, साकेत नई दिल्ली -110017 भारत में है

(जिसे इसमें इसके पश्चात 'रियायतग्राही' कहा गया है), उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन में शामिल व्यय के लिए अधिसूचना के अनुसार शुल्क एकत्र करने और बनाए रखने के लिए एक करार किया था।

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर संशोधित और रियायतग्राही के साथ रियायत करार के पूरा होने पर, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 11.005 से किमी 75.500 तक कानपुर-लखनऊ खंड के सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए यांत्रिक वाहनो पर विनिर्दिष्ट सड़क खंड की निवल लंबाई 64.495 के चार लेन सेक्शन के उपयोग हेतु 100 % की दर से सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम ^०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए सारणी निवल सड़क लंबाई पर शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव जिले के नवाबगंज गांव में डिजाइन किमी 39.000 पर	64.495 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी -3		
संदेश राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

- जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 422.49 करोड़ रुपए है। [पूँजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचआई/13013/सीओ/22-23/फी नोटिफिकेशन/लखनऊ-अयोध्या अनुभाग (एनएच-28)/ नवाबगंज/ई-213589]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1260(E).— whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

NH No	Section	Stretch From km to km	S.O. No	Date
25	Lucknow-Kanpur	0.000 to 11.380	465(E)	26.04.2002
25	Lucknow-Kanpur	11.380-21.800 and 59.500-75.500	196(E)	06.03.2000
25	Lucknow-Kanpur	21.800-59.500	1192(E)	03.12.2001

And Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1987(E) dated 03rd July 2013, Authority had entered into an agreement with M/s PNC Kanpur Ayodhya Tollways Private Limited having its registered office at Cabin No 5, NBCC Plaza, Tower-II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector V, Saket New Delhi-110017 India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”) to collect and retain the fee as per notification for expenditure involved in maintenance, management and operation of the said National Highway.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), and upon completion of concession agreement with concessionaire, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 64.495 km on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Kanpur-Lucknow Section from design Km 11.005 to Km 75.500 of National Highway number 25 (New NH-27) in the State of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor from the date of end of concession period with concessionaire the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design km 39.000 at Nawabganj Village of Unnao District in Uttar Pradesh State.	64.495 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three hundred And Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 422.49 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No NHAI/13013/CO/22-23/FeeNotification/Lucknow-AyodhyaSection(NH-28)/Nawabganj/E-213589]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.